

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मे. नाविक निमागि / सरजूदेवी

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

तारीख हुक्म

663  
2019

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27/1/22

पञ्जावली परतुत इरे / कपीलांग ने कपने  
कार्यवृत्ता के साथ उपाधिकृत होकर पार्षता  
पत्र बाबत कपील को विद्रा करने हेतु  
पेश कर निवेदन किया कि इस 225 RTA  
की कपील को सम्बन्धित मूल वाड को  
कानिगत्य न्यायालय के समक्ष पशकारान्  
के मध्य शक्तीगामा हो जाने से विद्रा  
किया जा चुका है जिससे यह कपील  
सारहीन हो गयी है एवम् पशकारान् के  
मध्य शक्तीगामा-हो जाने से कपीलांग  
इस सारहीन कपील को सब कागरे  
चलाना नहीं चाहेता है एवम् कपील को  
विद्रा करना चाहेता है। इतः कपील  
विद्रा किये जाने के आदेश करमाये जावे।  
यूँही कपीलांग सब इस कपील को  
कागरे चलाना नहीं चाहेते है एवम् कपील  
विद्रा करना चाहेते है। इतः कपील  
कपीलांग विद्रा किये जाने से रणारिज  
की जाती है। तदनुसार पञ्जावली फूसल  
शुमार होकर वाड तबमील डारखिल  
इस्तूर हो।

J. P. Singh  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
जयपुर

